



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2012/माघ 28, 1933

No. 261]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2012/MAGHA 28, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2012

का.आ. 296(अ).—विनाशक कीट और नाशी जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति संगरोध (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 2003 में पुनः संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. अनुसूची VI का संशोधन.—वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 अनुसूची VI में,—

(i) कॉलम (4) में क्रम सं. 207 के सामने मेकेडेमिया विशिष्ट (मेकेडेमिया नट्स) के लिए संबंधित (6) में उनसे प्रविष्टियों के बाद कॉलम 3 के सामने मद (1) क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

“(i) 21°C पर 24 घंटों के लिए 32 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाईल ब्रोमाईट के साथ घूमन या इससे उच्च या इसके सामान

या

24 घंटों के लिए 60°C पर ताप उपचार या भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित कोई अन्य उपचार/मूल/पृष्ठांकित होना चाहिए।

(ii) मृदा और संगरोध खरपतवार बीजों से मुक्त।”

(ii) क्रम संख्या 679 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी,

नामतः :—

515 GI/2012

(1)

क्रम सं.	पौध स्पेसीज	पौध सामग्रियों की श्रेणी	उद्गम देश	पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशिष्ट स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"770.	एक्टीनीडिया अरगुटा (कीवि बेरी)	खपत के लिए ताजे फल	न्यूजीलैंड	निम्नलिखित से मुक्त (क) आस्पीडीओरस नैरी (औक्वूथ स्कैल) (ख) पैराकोक्कस कारारीकस (मीली बग) (ग) सीयोडोक्कस कैलसीओलारिया मीली बग (घ) बोटीओस्फेरिया डोथिडिआ (डोथिरेला रूट) (ङ) डाईपोर्थे एक्टीनाईडिया (फोमोपसीस केन्कर) (च) डाईपोर्थे पर्निसीओसा (फोमोपसीस केन्कर) (छ) फाइटोफथोरा क्रिप्टोजिआ (टोमेटो फूट रूट)	शून्य"

3. अनुसूची VII का संशोधन.—पौध संगरोध के लिए अनुसूची VII में (भारत में आयात का विनियम) आदेश, 2003 क्रम संख्या 286 के बाद और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

"288 मालास डोमेसटिका—खपत के लिए डाईहाईड्रेट सेव"

[फा. सं. 8-57/2011-पीपी. II]

एस. के. जी. रहाटे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को का.आ. 1322 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसके पश्चात् दिनांक 6 फरवरी, 2004 को का. आ. 167(अ), दिनांक 29 मार्च, 2004 से का.आ. 427 (अ), दिनांक 31 मई, 2004, का. आ. 644(अ), दिनांक 25 फरवरी, का. आ. 263(अ), दिनांक 31 मार्च, 2005, का. आ. 462(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2006, का. आ. 1121(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2006, का. आ. 1353(अ), दिनांक 31 अक्टूबर 2006, का. आ. 1873(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006, सं. का. आ. 3(अ), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, का. आ. 2847(अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, का. आ. 2888(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, का. आ. 2286(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2009, का. आ. 2390(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009, का. आ. 3269(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009, का. आ. 3298(अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010, का. आ. 907(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2010, का. आ. 2095(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 2010, का. आ. 2284(अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2010, का. आ. 2516(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2010, का. आ. 2711(अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2010, का. आ. 3052(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 का. आ. 887(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 2011 द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2012

S.O. 296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (First Amendment) Order, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule VI.—In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,—

(i) Against serial number 207, relating to *Macadamia* spp. (*Macadamia* nuts) the existing entries in column (6) against item (i) of column 3 shall be substituted by the following entries, namely :—

“(i) Fumigation with Methyl bromide at 32 gram per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent.

or.

Heat treatment at 60°C for 24 hours or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

(ii) Freedom from soil and quarantine weed seeds.”

(ii) After serial number 769 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

S.No.	Plant Species	Category of plant material	Country of Origin	Additional declarations required to be incorporated into phytosanitary certificate	Special conditions of imports
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“770.	<i>Actinidia arguta</i> (Kiwi berry)	Fresh fruits for consumption	New Zealand	Free from : (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Paracoccus caraticus</i> (mealy bug) (c) <i>Pseudococcus calceolariae</i> (Citrophilus mealy bug) (d) <i>Botryosphaeria dothidea</i> (Dothiereella rot) (e) <i>Diaporthe actinidae</i> (Phomopsis rot) (f) <i>Diaporthe pernicioso</i> (Phomopsis canker) (g) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot)	NIL”

3. Amendment of Schedule VII.— In the Schedule VII to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 after serial number 286 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely :—

“288 *Malus domestica*— Dehydrated apples for consumption”

[F. No. 8-57/2011-PP. II]

S.K.G. RAHATE, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1322 (E), dated 18th November, 2003 and subsequently amended *vide* number S.O. 167(E), dated 6th February, 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May, 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March, 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July, 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July, 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October, 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December, 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 31st December, 2007, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E), dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E), dated 28th December, 2010 and S.O. 887 (E), dated 28th April, 2011.